

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)**

**// विविध-आदेश //**

**(कार्य-विभाजन में संशोधन क्र0-2)**

क्रमांक.....79...../  
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 15/जून/2023

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-10 की उपधारा-2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 216/दो-1-1/2000 दिनांक 17.05.2023 में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

1. सरल क्रमांक 01 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्र0-04 की कंडिका क्रमांक-09 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।
2. सरल क्रमांक-04 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र-02, सरल क्रमांक-05 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र-04, सरल क्रमांक-06 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र-02, सरल क्रमांक-07 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र-04, सरल क्रमांक-08 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र-02, सरल क्रमांक-10 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र-04, सरल क्रमांक-11 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र-03, सरल क्रमांक-13 के स्तम्भ क्रमांक-04 की कंडिका क्र-02 में लिखी इबारत "(प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा श्रवण योग्य मोटर दुर्घटना से हुई मृत्यु के तथा उसी दुर्घटना में कारित चोट/अपंगता से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर)" को विलोपित करते हुए एवं संबंधित थाना क्षेत्र से उदभूत मोटर दुर्घटना से हुई मृत्यु के तथा उसी दुर्घटना में कारित चोट/अपंगता से संबंधित क्षतिपूर्ति दावा मोटर दुर्घटना के अंतर्गत प्रकरण, को निर्मित किया जाता है।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक...2354...../  
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 15/06/2022

**प्रतिलिपि:-**

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउंटर, अनुभाग रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा म0प्र0।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. ✓ जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म0प्र0)